पत्रांक 6024 /आयु0 क0 उत्तरा0/धारा–57 अनुभाग/वा0कर/2010–11/दे0दून

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड,
(धारा–57, अनुभाग)
दिनांक:: देहरादून::11 मार्च, 2011

प्रार्थना पत्र सं0 – 8066/21.12.2010
सर्वश्री श्री सीमेन्ट लि0,
ग्राम अकबरपुर तहसील लक्सर जिला हरिद्वार।
उपस्थिति–सर्वश्री श्री सीमेन्ट लि0, की ओर से श्री अनिल तलवार जनरल मैनेजर (विधि) श्री ज्योतिराज अधिवक्ता
निर्णय का दिनांक– मार्च, 2011

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–57 के अन्तर्गत निर्णय।

सर्वश्री सीमेन्ट लि0 रुडकी फैक्ट्री ग्राम अकबरपुर तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार द्वारा मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा–57 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र देते हुये प्रश्न किया गया कि शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 151/09/XXVII(8)/141(120)/2009 दिनांक 02–03–2009 द्वारा रोड साइड ढाबा, औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं कार्यालयों में चलाये जाने वाली कैन्टीन हेतु लागू समाधान योजना का लाभ कम्पनी के द्वारा अपने कर्मचारियों के लिये चलाये जाने की स्थिति में कम्पनी को उक्त समाधान योजना का लाभ मिल सकता है, अथवा नही?

2. विभागीय मत ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर, हरिद्वार सम्भाग, हरिद्वार द्वारा प्रेषित करते हुए अवगत कराया गया है कि उपरोक्त फर्म की वार्षिक बिक्री वर्ष 09–10 में रु0 16328.38 लाख रही है तथा उपरोक्त इकाई लि0 कम्पनी है जो कि शासन द्वारा लागू शासनादेश संख्या 151/09/XXVII (8)/141(120)/2009 दिनांक 02–03–2009 में दिये गये दिशा निर्देशों से आच्छादित नही होती है। अतः उक्त फर्म उपरोक्त योजना के लिये पात्र नही है।

3. प्रार्थना पत्र की सुनवाई की निर्धारित तिथि को श्री अनिल तलवार महा प्रबन्धक (विधि) एवं अधिवक्ता श्री ज्योतिराज उपस्थित हुये। उनके द्वारा शासन द्वारा समाधान योजना का लाभ कम्पनी को उपलब्ध करने का अनुरोध किया गया।

4. मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विभागीय मत एवं फर्म की ओर से प्रस्तुत तथ्यों का अवलोकन किया गया। वैट अधिनियम की धारा–57 के अन्तर्गत आयुक्त वाणिज्य कर से निम्न पॉच बिन्दुओं से सम्बन्धित प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा की गयी है:–

(क) कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का संगम, सोसायटी,क्लब फर्म, कम्पनी,निगम उपक्रम या सरकारी विभाग ब्यौहारी, या
(ख) किसी माल के प्रति किया गया कोई विशिष्ट कार्य स्वतः या परिणामतः माल का विनिर्माण उस शब्द के अर्थानुसार है, या

(ग) कोई संव्यवहार विक्रय या क्रय है, और यदि हॉ, तो उसकी विक्रय या यथास्थिति क्रय कीमत क्या है, या

(घ) किसी विशिष्ट ब्योहारी को पंजीयन कराना अपेक्षित, या

(ड) किसी विशिष्ट विक्रय या विशिष्ट क्रय के सम्बन्ध में कर देय है,और यदि हॉ,तो उसकी दर क्या है,

प्रश्नकर्ता द्वारा यह पूछा गया है कि उनके द्वारा चलाई गयी कैन्टीन को समाधान योजना का लाभ मिलगा या नही? यह प्रश्न उक्त पॉच बिन्दुओं से आच्छादित नही है। अतः धारा–57 के अन्तर्गत पूछे गये प्रश्न का उत्तर उक्त प्राविधानों के अन्तर्गत दिया जाना अपेक्षित नही हैं उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में धारा–57 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाता है।

निर्णय की प्रति सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु एवं व्यापारी को पंजीकृत डाक से भेजी जाय।

(राधा रतूडी)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तराखण्ड

पृ0प0सं0 6024 / दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. प्रमुख सचिव वित्त उत्तराखण्ड शासन,
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्दिरा नगर देहरादून।
3. एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गढवाल जोन देहरादून / कुमॉऊ जोन रूद्रपुर।
4. एडिशनल कमिश्नर,(आडिट) / (प्रर्वतन) वाणिज्य कर, मुख्यालय देहरादून ।
5. समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर, देहरादून / हरिद्वार / काशीपुर / हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित की वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों / बार एशोसिएशन के पदाधिकारियों / व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष / सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
6. ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर देहरादून / हल्द्वानी ।
7. ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0 / परिवर्तन) वाणिज्य कर हरिद्वार / रूद्रपुर ।
8. डिप्टी कमिश्नर(क0नि0) वाणिज्य कर रुडकी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. बरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित
10. कि वे उक्त परिपत्र को वाणिज्य कर की बेवसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें
11. संख्या–अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों / अधिवक्ताओं को ई–मेल द्वार प्रेषित कर दें।
12. नेशनल लॉ हाउस बी–2 मॉर्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेड़कर रोड़ गाजियाबाद।
13. नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस–15 / 5 राज नगर गाजियाबाद।
14. लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलैक्ट्रेट कम्पाउण्ड, राजनगर गाजियाबाद।
15. कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाईल हेतु ।
16. विधि–अनुभाग की गार्ड फाईल हेतु।

कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तराखण्ड

11-3-06